भारत में मनुष्य के साथ जाति जुड़ी हुई है और जाति के साथ मान–अपमान, एकाधिकार, गैर बराबरी और भेदभाव भी जुड़ा है। जाति हिन्दुओं की विशिष्ट अ+योग्यता तथा पहचान है। जहाँ एक ओर उच्च (द्विज) जाति के लोग सर्वाधिकार सम्पन्न तथा सम्मानित है, वही दूसरी ओर निम्न (शूद्र व अछूत) जातियों के लोग असमानता, अपमान, उत्पीड़न, शोषण तथा भेदभाव के शिकार सदियों से है।

स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत की जनता को नहीं, बल्कि उच्च वर्गीय ब्राहमणवादियों तथा पूँजीपतियों को मिली थी, तभी तो विशेष संवैधानिक प्राविधानों के बावजूद देश की 85प्रतिशत जनता को न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि, 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश की सत्ता उच्च वर्गीय ब्राहमणवादियों, पूँजीपतियों तथा राजे–रजवाडों को सौंपी गयी तथा आज तक शासन–प्रशासन इन्हीं जन विरोधी शक्तियों के हाथ में रहा ह, इसलिए वंचितों को उनके संवैधानिक हक मिलना अश्वयंभावी रहा है।

सदियों से शोषित, अपमानित, हकसंचित समाज के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकास तथा अनुपातिक हिस्सेदारी हेतु 'पूना पैक्ट के अनुरूप शिक्षा, नौकरी तथा राजनीति में अनुपातिक 'आरक्षण' की व्यवस्था अस्पृश्यों तथा ट्रायबल्स (एस. सी./एस.टी.) के लिए की गयी। सन् 1990 में शैक्षिक, आर्थिक एवं समाजिक रूप से पिछडी (शूद्र) जाति के लोगों को मंडल कमीशन की अनुशंसा के अनुरूप 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसमें हिन्दू–मुस्लिम, ईसाई तथा सिक्ख सभी धर्मो के पिछड़े शामिल किए गये।

आज उच्च वर्णीय हिन्दू जाति के लोगों (विशेषकर ब्राहमणों) द्वारा आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। आरक्षण का विरोध आज कोई नया विषय नहीं है। आरक्षण का विरोध तो गांधी तथा नेहरू के समय से ही कांग्रेसी स्वयं कराते रहे है। नेहरू स्वयं अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण के मुखर विरोधी थे। गांधीज और उनकी कांग्रेस ने सदा यही प्रयास किया है कि दलित– आदिवासी उनके (हिन्दुओं तथा कांग्रेस के)

पिछलग्गू तथा मोहताज बने रहे, इन्हें उतनी ही सुविधाऐं दी जाये कि बस ये किसी तरह जीवित रहे; इन्हें शैक्षिक व आर्थिक रूप से इतना मजबूत कभी नही होना दिया जाये कि ये उनके लिए चुनौती बन जाए। अन्य राजनैतिक दलों का नजरिया भी हक वंचित समाज के प्रति उपरोक्त दृष्टिकोण से भिन्न नहीं है।

आज एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यकों को हिन्दू शासक चुनौती के रूप में ले रहे है, इसीलिए सारी की सारी संस्थाऐं एकजुट होकर आरक्षण को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में उतर आयी है। ऐसी परिस्थितियों में, हक संचित समाज के बुद्धिजीवियों, चिन्तकों, राजनीतिज्ञों तथा सोशल वर्कर्स को एकजुट होकर अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाना तथा संधर्ष करना पडेगा।

भारत में अभी शोषित समाज द्वारा शोषको एवं शासको (ब्राहमणवादियों/ पूँजीवादियों) का जुआ उतार कर फेंकने का इतिहास लिखा जाना बाकी है।

'आरक्षण बचाओं संघर्ष समिति'

आरक्षण बचाओं संघर्ष समिति (ABSS) की स्थापना माननीय इं0 आर0 पी0 सिंह ने 09 जनवरी 2011 को मातादीन बाल्मीकि (सन् 1857 की क्रान्ति के प्रणेता) की क्रान्ति भूमि मेरठ में की। जनवरी 2011 से आज तक अपने लोकप्रिय एवं साहसी राष्ट्रीय अध्यक्ष इं0 आर0पी0 सिंह के कुशल नेतृत्व में सड़क से संसद तथा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते–2 ABSS के बहादुर एवं बलिदानी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओं आन्दोलन को राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन बना दिया है। ABSS के युवा एवं महिला कार्यकर्ताओं ने असीम साहस, समर्पण, अनुशासन का परिचय देते हुए अपनी राष्ट्रीय, आंचलिक एवं क्षेत्रीय नेतृत्व के दिशा–निर्देशन में –

- 'विशाल आरक्षण बचाओ/अस्तित्व बचाओ' महारैलियाँ
- 27 मार्च 2011 को सहारनपुर में ऐतिहासिक प्रदर्शन

- 01 सितम्बर 2011 से 18 सितम्बर 2011 तक 'आरक्षण बचाओ/अस्तित्व बचाओ' जनचेतना यात्रा,
- 13 मई 2012 को यू0पी0 'विधानसभा घेराव',
- 13 अगस्त 2012 को लखनऊ, वाराणसी, झांसी तथा मेरठ में 'जेल भरो'
- म0प्र0 के 55 जिलों में 'जनचेतना यात्रा तथा विधानसभा घेराव'
- 22/23 नवम्बर 2012 को जन्तर–मन्तर में 'घेरा डालो–डेरा डालो'
- 12 अगस्त 2013 को जन्तर–मन्तर पर 'आरक्षण अगस्त क्रान्ति' (कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस का बर्बर लाठी चार्ज, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता गम्भीर रूप से घायल)
- 09 दिसम्बर 2013 को जन्तर–मन्तर पर 'महारैली' (केन्द्रीय मंत्री श्री जे0डी0 सीलम स्वयं ज्ञापन लेने जन्तर–मन्रत धरना स्थल पर पहुँचे)। आदि अनेक महा आन्दोलन किये गये जिनका विवरण अग्रिम पृष्ठों पर विस्तार से उपलब्ध है।